इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2016—पौष 21, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. एफ 2-2-2015-बाईस-पं.-2.—राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में नीचे उल्लेखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है—

1. नियम 9 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(4) कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई व्यक्ति जो मतदाता सूची में की किसी प्रविष्टि का पुनरीक्षण करने या उसमें नाम सम्मिलित करने या उसमें से नाम अपवर्जित करने के लिए नियुक्त तथा प्राधिकृत किया गया है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन समानुदेशित किये गये कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा:

परन्तु कोई भी न्यायालय तब तक अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग या कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो.".

2. नियम 14 में उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात:—

"(2) ऐसी प्रत्येक सूची, उस वर्ष की, जिसमें उसका इस प्रकार पुनरीक्षण किया गया है, जनवरी के प्रथम दिवस के प्रति निर्देश से—

(एक) पंचायतों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति,

(दो) किसी पंचायत में स्थान भरने के लिए प्रत्येक उपनिर्वाचन के पूर्व,

सतत पुनरीक्षण के दायित्वाधीन होगी.

3. नियम 15 में, विद्यमान परन्तुक में, अन्त में, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात:—

"परन्तु यह और भी कि इस नियम के अधीन किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा.".

4. नियम 46 के पश्चात, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात:—

"46-क अभ्यर्थी की मृत्यु की दशा में नाम तथा निर्वाचन प्रतीक का मुद्रण—

(1) उस दशा में जहां कि मतदान प्रारंभ होने के 72 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई हो. मतपत्र पर अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित नहीं किया जाएगा.

(2) ऐसी परिस्थिति में यदि यह आवश्यक हो जाता है तो मतपत्र पुनर्मुद्रित किये जाएंगे तथा अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

(3) मृत अभ्यर्थी के नाम को हटाने के कारण मतपत्र में हुए परिवर्तन की जानकारी तत्काल समस्त अभ्यर्थियों को भेजी जाएगी. यदि अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना, नियत समय के पश्चात प्राप्त होती है तो मतपत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा आयोग को तत्काल सूचित किया जाएगा.

5. नियम 72 में,—

(एक) शीर्षक में, शब्द "मत पेटी" के स्थान पर, शब्द "मत पेटियों या मतदान मशीनों" स्थापित किया जाए,

(दो) खण्ड (क) में, शब्द "मत पेटी" के स्थान पर शब्द "मत पेटी या मतदान मशीन" स्थापित किया जाए.

6. नियम 72-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात:—

"**72-क. मतदान मशीन की बनावट**—प्रत्येक मतदान मशीन में एक नियंत्रण इकाई (डिटेचेबल मेमोरी मॉडयूल सहित) और एक या एक से अधिक मतदान इकाईयां होगी. मतदान इकाईयों की संख्या, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या तथा सीटों की संख्या पर निर्भर होगी. नियंत्रण इकाई तथा मतदान इकाईयों की बनावट तथा आकार ऐसा होगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए.

स्पष्टीकरण—डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) से अभिप्रेत है ऐसी इलेक्ट्रानिक मेमोरी डिवाइस जो मतदान मशीन (ई.व्ही.एम.) की नियंत्रण इकाई से जुड़ी होती है तथा समानान्तर रूप से निर्वाचन डाटा सुरक्षित रखती है. मतों की गणना पूर्ण हो जाने के पश्चात् डी.एम.एम. को नियंत्रण इकाई से पृथक किया जाएगा तथा मतदान का डाटा सुरक्षित रखने के पश्चात, नियंत्रण इकाई का आगामी नवीन निर्वाचन के लिए उपयोग किया जा सकेगा.".

7. नियम 72-ङ में, उप-नियम (1) में,

(एक) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए,अर्थात:—

(ग) नियंत्रण इकाई तथा मतदान इकाई का अनुक्रमांक;

(दो) इस प्रकार स्थापित खण्ड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए:—

"(ग क) डिटेचेबल मेमोरी माडयूल (डी.एम.एम.) का अनुक्रमांक और.".

8. नियम 77-ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात,—

77-ग नियंत्रण इकाई से डिटेचेबल मेमोरी मॉडयूल (डी.एम.एम.) पृथक करने के पश्चात डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी. एम. एम.) को सील किया जाना.—

(1) मतदान का नतीजा नियंत्रण इकाई में अभिनिश्चित तथा अभिलिखित हो जाने के पश्चात तथा नियम 77-ख के उप-नियम (2) के प्ररूप 16-क, 17-क, 18-क तथा 19-क में अभ्यर्थी के क्रम अभिलिखित हो जाने के पश्चात रिटर्निंग आफिसर नियंत्रण इकाई से डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) को पृथक करेगा तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित रीति में उसे सील करेगा. सील करने की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं तथा उनकी मुद्रा लगा सकेंगे एवं उन पर हस्ताक्षर कर सकेंगे.

(2) रिटर्निंग आफिसर सीलबंद डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) पर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित करेगा, अर्थात्:—

(क) वार्ड का नाम,
(ख) मतदान केन्द्र या केन्द्रों का विवरण जहां नियंत्रण इकाई का उपयोग किया गया है,
(ग) नियंत्रण इकाई का अनुक्रमांक,
(घ) डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) का अनुक्रमांक,
(ङ) मतदान की तारीख, और
(च) मतगणना की तारीख.

(3) सील की गई डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डी.एम.एम.) का उपयोग न्यायिक प्रयोजन के लिए तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा. नियंत्रण इकाई का उपयोग निर्वाचन के अन्य चरणों में किया जा सकेगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बृजेश कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

सूचना

क्र. एफ 2-2-2015-बाईस-पं.-2.—राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, मध्यप्रदेश पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 में नीचे उल्लेखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियमानुसार संशोधन किया जाता है,—

नियम 13 में, उप-नियम (2) में परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात:—

"परन्तु जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत के उप सरपंच के निर्वाचन के लिए, पीठासीन अधिकारी निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:—

(क)	जिला पंचायत के लिए	कलक्टर
(ख)	जनपद पंचायत के लिए	उप-खण्ड अधिकारी या उप जिलाध्यक्ष या तहसीलदार.
(ग)	ग्राम पंचायत के लिए	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) संवर्ग से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th January 2016

No. F-2-2-2015-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 in read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act namely :—

AMENDMENT

In the said rules the following amendments is made,—

1. In rule 9, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(4) Any registration officer or Assistant Registration Officer or any person who has been appointed and authorized to revise the entry in the Voter list or to include the name therein or to delete the name therefrom, does not perform the duties as assigned to him under the provision of the Act then he shall be punished with simple imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to two years or with fine or with both:

Provided that no court shall take cognizance of the offence unless a complaint in writing is lodged by the state election commission or the collector and district election officer or any authorized officer";

2. In rule 14, for sub-rule (2), the following rule shall be substituted,namely:—

"(2) Every such list shall be liable to continual revision by reference to first day of January of the Year in which it is so revised—

(i) before each general election to the Panchayats, or as the case may be.;

(ii) before each bye election to fill a seat in a Panchayat".

3. In Rule 15, in the existing proviso, colon shall be substituted at the end and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that the name of any voter shall not be deleted from the voter list under this rule.".

4. After rule 46, the following rule shall be added, namely:—

"(46-A) Printing of name and election symbol in case of death of candidate.

(1) The name of candidate and the allotted election symbol to him on the ballot-paper shall not be printed where the information of death of candidate is received before 72 hours of the commencement of poll.

(2) In such circumstances if it becomes necessary, the ballot-paper shall be reprinted and no change shall be made in the allotted election symbol to other candidates.

(3) The information regarding change in the ballot-paper due to omission of the name of deceased candidate shall be sent to all candidates forthwith. If the information of death of the candidate is received after the fixed time, no change shall be made in the ballot-paper and the commission shall be informed at once.

5. In Rule 72, in the heading and in clause (a), for the words "ballot-boxes", the words "ballot-boxes or voting machine" shall be substituted.

6. For rule 72-A the following rule shall be substituted namely:—

"72-A. Design of voting machine.—Every voting machine shall have a control unit (with Detachable Memory Module) and one or more balloting units. The number of balloting unit shall depend on the number of contesting candidate and number of seats. The design and shape of control unit and balloting unit shall be such, as may be approved by the state election commission.

Explanation—The detachable memory module (DMM) means such electronic memory device which is attached to the control unit of Electronic voting machine and which parallely keeps the election data safely. After completion of the counting of votes, the DMM shall be separated from control unit and after keeping the polling data safely, the control unit may be used for further new election."

7. In rule 72-E in sub-rule(1),—

(i) for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(c) Serial number of control unit and balloting unit.".

(ii) After clause (c) so substituted, the following shall be inserted namely:—

"(ca) serial number of Detachable Memory Module (DMM), and.".

8. For rule 77-C, the following rule shall be substituted namely:—

"77-C Sealing of D.M.M. after separating the Detachable memory module from control unit.—

(1) After the result of voting is ascertained and recorded in the control unit and recorded candidate wise in form 16-A, 17-A, 18-A and 19-A of sub-rule (2) of rule 77-B, the Returning officer shall separate DMM from control unit and seal in the manner prescribed by the State Election Commission, During the sealing procedure the candidates or their agent may present and affixed their seals and put signature thereon.

(2) The Returning Officer shall record the following particulars on the sealed DMM,namely:—

(a) The name of ward;
(b) The particulars of polling station or stations where the control unit has been used;
(c) Serial number of control unit;
(d) Serial number of DMM;
(e) Date of poll, and
(f) Date of counting.

(3) The sealed DMM may be used for judicial purpose and other necessary purposes. The control unit may be used for other phases of election.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BRAJESH KUMAR, Addl. Secy.

Bhopal, the 11th January 2016

NOTICE

No. F-2-2-2015-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 in read with section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Panchayat (Up Sarpanch, President and Vice President) Nirvachan Niyam, 1995, the same having been previously published as required by sub-sction (3) of section 95 of the said Act namely :—

AMENDMENT

In the said rules the following amendments is made,—

(i) In rule 13, in sub-rule (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that for election of President/Vice President of Zila Panchayat, President/Vice President of Janpad Panchayat and Up-Sarpanch of Gram Panchayat , the presiding officer shall be as under, namely:—

(a)	For Zila Panchayat	Collector
(b)	For Janpad Panchayat	Sub-Divisional Officer or Deputy Collector or Tahsildar.
(c)	For Gram Panchayat	an officer not below the rank of Class-III (Executive) Cadre.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BRAJESH KUMAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.